संख्या-388/2025/2166/22-2-2023-17(1488)/2023

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 30 अप्रैल, 2025

विषय:- जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमनाथ पुत्र श्री नकली सिंह, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-12154/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-16-03-2023) दिनांक-13-04-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमनाथ पुत्र श्री नकली सिंह, जो निरमानी, थाना-शाहपुर, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। जमीनी विवाद में बन्दी ने दिनांक 09.04.2006 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बलकटी, भाले व तमंचे से मारकर श्रीमती प्रवेश, अक्षय उर्फ मोनू व सोनू नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं लोकेश नामक व्यक्ति को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-907/06 में भा०द०वि० की धारा-302, 307 के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-07, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 11.11.2008 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 17.08.2010 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए मृत्युदण्ड की सजा को यथावत रखा गया। मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 13.02.2013 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.02.2023 तक 16 वर्ष, 10 माह, 17 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष, 10 माह, 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा अपने सगे भाई के पूरे परिवार की हत्या की थी जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल पैदा होने, रिहाई पर किसी घटना से इन्कार नहीं किये जाने का अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि जमीनी विवाद के कारण बन्दी द्वारा दिनांक 09.04.2006 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बलकटी, भाले व तमंचे से मारकर श्रीमती प्रवेश, अक्षय उर्फ मोनू व सोनू नामक 03 व्यक्तियों की हत्या करने एवं लोकेश नामक व्यक्ति को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। बन्दी द्वारा अपने सगे भाई के पूरे परिवार की हत्या किये जाने व रिहाई पर किसी घटना से इंकार नहीं किये जाने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी ओमनाथ पुत्र श्री नकली सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमनाथ (बन्दी संख्या-478/18) पुत्र श्री नकली सिंह, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-388/2025/2166(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) डायरी सं0-28783/2023 सुरेन्द्र उर्फ सुण्डा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-13-11-2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-388/2025/2166/22-2-2023-17(1488)/2023

दिनांक: 30 अप्रैल, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमनाथ पुत्र श्री नकली सिंह, जो निरमानी, थाना-शाहपुर, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। जमीनी विवाद में बन्दी ने दिनांक 09.04.2006 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बलकटी, भाले व तमंचे से मारकर श्रीमती प्रवेश, अक्षय उर्फ मोनू व सोनू नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं लोकेश नामक व्यक्ति को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-907/06 में भा०द०वि० की धारा-302, 307 के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-07, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 11.11.2008 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 17.08.2010 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए मृत्युदण्ड की सजा को यथावत रखा गया। मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 13.02.2013 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.02.2023 तक 16 वर्ष, 10 माह, 17 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष, 10 माह, 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा अपने सगे भाई के पूरे परिवार की हत्या की थी जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल पैदा होने, रिहाई पर किसी घटना से इन्कार नहीं किये जाने का अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि जमीनी विवाद के कारण बन्दी द्वारा दिनांक 09.04.2006 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बलकटी, भाले व तमंचे से मारकर श्रीमती प्रवेश, अक्षय उर्फ मोनू व सोनू नामक 03 व्यक्तियों की हत्या करने एवं लोकेश नामक व्यक्ति को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। बन्दी द्वारा अपने सगे भाई के पूरे परिवार की हत्या किये जाने व रिहाई पर किसी घटना से इंकार नहीं किये जाने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी ओमनाथ पुत्र श्री नकली सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।